



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9930

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 31790 वर्ष 2025

विशाल साहनी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : मन्तोष सिंह, रिषभ कुमार

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री ऋषभ कुमार, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 57 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 238(A) बी.एन.एस., थाना - कोतवाली, जिला - जौनपुर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि अभियोजन कहानी इस तथ्य से असत्य सिद्ध होती है कि पुलिस के समक्ष आवेदक के बयान में यह सामने आया है कि उसने कड़छी से हत्या की और आवेदक पर कड़छी की मिथ्या बरामदगी थोपी गई, परंतु पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करती। बल्कि मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व गला घोटने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध पाया गया, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी



है। पुलिस के समक्ष अभियुक्त का बयान विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं रखता।

5. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। आवेदक दिनांक 1.3.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि पड़ोसियों ने आवेदक को एक सूटकेस लेकर जाते देखा था जिसमें तत्पश्चात शव बरामद हुआ। यदि कोई बरामदगी हुई है तो वह केवल आवेदक के इशारे पर हुई है, जो पुलिस को किसी प्रकार से गुमराह करने का उसका प्रयास हो सकता है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पड़ोसियों ने आवेदक को एक सूटकेस लेकर जाते देखा था जिसमें तत्पश्चात शव बरामद हुआ, मुझे यह मामला आवेदक को जमानत प्रदान करने योग्य नहीं प्रतीत होता। जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
8. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 SCC 702** के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत विचारण न्यायालय में लंबित उपर्युक्त प्रकरण का, यदि कोई विधिक बाधा न हो, यथाशीघ्र शीघ्रतापूर्वक निस्तारण किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किए गए अवलोकन केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

शालिनी